

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 1984/श्रावण 5, 1906
No. 352] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1984/SRAVANA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1984

शुद्धि पत्र

का. अ. 534(अ).—भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय के
का. आ. संख्या 77(अ) दिनांक 7 फरवरी, 1984 जिसे राजपत्र के भाग 2, खंड 3,
उपखंड (2) में प्रकाशित किया गया था, के पैरा सं. 4 और 5 के स्थान पर निम्न-
लिखित रहेंगे :—

“4. महाराष्ट्र राज्य में बृहत्तर बम्बई की सीमा से या अन्य राज्यों में यदि
ट्रेलरों का उपयोग किया जाता है तब इस प्रकार के परिचालन के लिए संबंधित

राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और वह उक्त राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गों पर ही चलाया जाएगा और स्ट्रक्चर्स, मार्गों, पुलों, पुलिसों और सड़कों का इस्तेमाल करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों का पालन करना पड़ेगा जिसके लिए प्रत्येक बार के परिचालन के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय और पुलिस प्राधिकरण दोनों को ही परिचालक द्वारा सूचना दी जाएगी।

5. प्रत्येक एक्सेल के सकल भार को बढ़ाने की दृष्टि से प्रचालक को प्रत्येक ट्रेलर के अस्थायी तौर पर अतिरिक्त एक्सेल/टैंडम एक्सेल लगाने की अनुमति दी जाती है जो इस शर्त पर निर्भर करती है कि रजिस्टर्ड लदान भार/सुरक्षित एक्सेल भार 1,33,000 कि.ग्रा. से अधिक न हो।”

[फाइल सं. टी. डब्ल्यू./टी.जी.एम. 62/83]

गोविन्द जे. मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 27th July, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 534(E).—In the statutory order of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 77 (E) dated the 7th February, 1984 published in Part II, Section 3, sub-section (ii) for the paras No. 4 and 5 substitute the following :—

- “4. In case the trailers are to be used outside the limits of Greater Bombay, either in Maharashtra or in other States, such an operation will be with the prior approval of the concerned States PWD/Local Bodies and on the route as may be specified by the said State PWD/Local Bodies, and will also be subject to such conditions as the State Government/Local Bodies may specify for the safety of structures, roads, bridges, culverts and with due regard to safety to all road-users, for which the State PWD/Local Bodies and the police authorities will

be kept duly informed by the operator, every time the operations are effected.

5. Approval is also accorded to the operator to temporarily add additional axles/tandem axle to each trailer with a view to reducing the overall weight on each axle, subject, however, to the condition that the RIW/SAW shall not exceed 1,33,000 Kgs.”.

[File No. TW/TGM-62/83]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

